सं. 12(4)/2008-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 09 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के कावाराती और अगाती से भिन्न द्वीपसमूहों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता प्रदान करना।

अधोहस्ताक्षरी को निकाबोर द्वीप समूह में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2004 से दुर्गम क्षेत्र भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 01.03.2004 के इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.12(1)/ई.II(बी)/03 तथा लक्षद्वीप में मिनीकॉय में तैनात केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को दिनांक 01.09.2008 से 25 प्रतिशत (मूल वेतन + एनपीए, जहां लागू हो) की दर से यह भत्ता प्रदान किए जाने, जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, के संबंध में दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा. सं. 12(4)/2008-ई.II (बी) का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मिनीकॉय से भिन्न द्वीपों में दुर्गम क्षेत्र भत्ता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है।

2. अब राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि लक्षद्वीप के किलतान, एंड्रोट, काल्पेनी, चेतलात, कदमत, अमीनी और बिथारा द्वीपों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विद्यमान शर्तों पर 15 प्रतिशत (मूल वेतन + एनपीए, जहां लागू हो) की दर से दुर्गम क्षेत्र भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

3. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. जहां तक, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

मधुलिका प्र सु

(मधुलिका पी. सुकुल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रतिलिपि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग को आदि को अग्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, अंडमान एवं द्वीप समूह तथा प्रशासक लक्षद्वीप को भी अग्रेषित।